बनाम

1. फूलचन्द उर्फ फूलाराम पुत्र श्री नारायणराम
2. रूकमणी पत्नी श्री गिरधारी
3. विजेन्द्र पुत्र गिरधारी
4. शीशुपाल पुत्र गिरधारी
5. शारदा पत्नी श्री पत्नी फतेहचन्द
6. महेन्द्र पुत्र फतेहचन्द
7. देवेन्द्र पुत्र फतेहचन्द
8. कूकू पुत्र फतेहचन्द (मृतक)
9. विधाधर पुत्र नारायण जातिगण मेघवंशी निवासीगण मांडासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
10. नथू मोहम्मद पुत्र रहीमबक्श जाति काजी निवासी घोड़ीवारा खुर्द।
11. मनभरी देवी पत्नी श्री महावीर प्रसद जाति जाट निवासी घोड़ीवारा खुर्द।
12. मोहनराम पुत्र श्री कालूराम जाति मीना निवासी सांगासी।
13. किशन सिंह पुत्र श्री चांद सिंह जाति राजपूत निवासी घोड़ीवारा खुर्द
14. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़
15. उप–पंजीयन अधिकारी उप–पंजीयन कार्यालय मुकुन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झूनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री सुरेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील प्रति. :– श्री सुरेन्द्र भर्रा

<u>दावा घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती विभाजन</u>
<u>व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

:: प्राथमिक निर्णय :: दिनांक : 25-9-19

वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम माण्डासी तहसील नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा 1.44 हैक्टर अवस्थित है जिसमें वादी का 1/5 वा हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 01 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादीगण 2 लगायत 4 का 1/5 वां हिस्सा, प्रतिवादीगण 5 लगायत 7 को 1/5 वां हिस्सा, प्रवितादी नम्बर का 1/5 वां हिस्सा है जो वादी व एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 की पैत्रिक सम्पति है। ग्राम माण्डासी की सरहद में नारायणराम का नाम व्यक्ति पैदा हुआ। नारायणराम का स्वर्गवास हो गया है वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 में प्रतिवादी नम्बर 8 जो अविवाहित था प्रतिवादी नम्बर 8 का स्वर्गवास हो गया है लेकिन उसका नाम राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है इस प्रकार उसे दावा में पक्षकार बनाया है। ग्राम घोड़वारा कलां की सरहद में भूमि खसरा

Scanned by CamScanner

नम्बर 392 रकबा 0.29 हैक्टर, खसरा नम्बर 472 रकबा 0.74 हैक्टर, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 479 रकबा 2.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 480 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 481 रकबा 2.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 484 रकबा 3.50 हैक्टर, कुल किता 7 कुल रकबा 11.68 हैक्टर अवस्थित है जिसमें प्रतिवादी नम्बर 10 के हिस्से में 0.77 हैक्टर भूमि आती है, प्रतिवादी नम्बर 11 के हिस्से में 0.68 हैक्अर भूमि आती है वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 9 का 8 बीधा 13 बिश्वा में वादी का 1/5 वां हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/5 वां हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 4 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 5, 6, 7 का 1/5 वां हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 9 का 1/5 वां हिस्सा है वादी एवं प्रतिवादीगण बहामी बंटवारा कर कब्जा काश्त करते है। इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 12 के हिस्से में 15 बीधा प्रतिवादी नम्बर 13 के हिस्से में 4 बीधा 2 बिश्वा रिकार्ड में दर्ज़ है। वाद–पत्र में वर्णित काश्त की जमीन का मौखिक बंटवारा कर रखा है वादी खसरा नम्बर 472 में चाह बनाकर जिसमें विधुत कनेक्शन स्वयं के नाम से है तथा मकान बनाकर सन् 1972 से निवासी कर रहा है व काबिज है जिसमें किसी भी प्रतिवादीगण का लेना देना नही है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बंटवारा नही हुआ। वादी वाद–पत्र में वर्णित काश्त की भूमि में सहकाश्तकार जो अपनी काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से विभाजन करवाने का हकदार है इस प्रकार वादी को यह विभाजन का दावा पेश करना आवश्यक हुआ। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 5 का पति व प्रतिवादी नम्बर 6, 7 का पिता व प्रतिवादी नम्बर 9 तीनों भाई नौकरी किया करते थे। प्रतिवादी नम्बर 1 सबसे छोटा भाई था वह घर पर पढ़ाई किया करता। सभी भाई शामिल में रहते है। प्रतिवादी नम्बर 1 ही परिवार का कर्ताखानदान व वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 5 लगायत 7 व प्रतिवादी नम्बर 9 सभी एक ही कुटुम्ब में शामिल में रहते है, विवाह, भात, घरेलू खर्चा सम्पति खरीदना सभी शामिल में करते है सभी भाई आपस में खर्चा वाहन करते है। वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 5 का पति व प्रतिवादी नम्बर 6 व 7 का पिता व प्रतिवादी नम्बर 9 नौकरी पेशा में व्यस्त होने के कारा एवं तीनों भाई शामिल रहने के कारा दिनांक 23.1.1976 को घोड़ीवारा खुर्द में 2.62 में 2.62 हैक्टेयर भूमि क्रय शामिल में किया था। लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 घर पर पढ़ाई करता था अन्य भाई नौकर धन्धा घर से बाहर रहकर करते थे। प्रतिवादी नम्बर 1 ही घर का कर्ताखानदान था। इस प्रकार सभी भाईयों ने प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में दिनांक 23.01.1976 को 2.62 हैक्टर भूमि का विक्रय–पत्र प्रतिवादीनम्बर 1 के पक्ष में तस्दीक करवाया जिसका प्रतिफल भी सभी भाईयों एवं पैतृक सम्पति से होने वाली कृषि आय, पशुधन सभी का लगा है। इस प्रकार जो विक्रय–पत्र दिनांक 23.01.1976 को प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में तस्दीक हुआ वह प्रतिवादीनम्बर 1 घर का कर्ताखानदान था अन्य तीनों भाई घर से बाहर नौकरी व धन्धा करते थे लेकिन दिनांक 23.01.1976 को सभी भाई शामिल में रहते थे। सभी भाईयों ने शामिल में घोड़वारा खुर्द में 2.62 हैक्टर भूमि का क्रय किया जिसमें प्रतिफल राशि सभी भाईयों नौकरी, धंधा व कृषि आय, पशुधन की लगी है तो क्रय की गई सम्पति में सभी शामलाती भाईयों का बराबर–बराबर हिस्सा होगा इस प्रकार दिनांक 23.01.1976 को तीनों भाईयों ने शामिल में रहकर सबसे छोटा भाई जो घर कर्ताखानदान था उसके पक्ष में विक्रय–पत्र तकमील क़रवाने से अन्य तीनों भाई उस क्रय कि गई सम्पति में से अपना हिस्सा लेने से वंचित नही होते है विधिवत रूप से उनका हिस्सा तय रहता है। वादी का 1/4 वां हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 5, 6, 7 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 9 का 1/4 हिस्सा हिस्सा कानूनन रूप से विध्यमान है उपरोक्त सम्पति के सम्बन्ध में सभी भाईयों ने पारिवारिक समझौता दिनांक 30.08.2008 को 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर किया है कि घोड़ीवारा खुर्द में क्रय की गई भूमि में सभी भाइयों का बराबर–बराबर हिस्सा है। वादी का सगा भाई गिरधारी उपरोक्त सम्पति क्रय करने से पूर्व ही अलग हो गया था, जिसकें वारिस प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 4 जिनका दिनांक 23.01.1976 को क्रय की गई सम्पति में कोई हक व हिस्सा नही है। इस प्रकार वादी अपने हक के लिए यह दावा घोषणार्थ का पेश किया है। प्रतिवादी नम्बर 01 चतुर व चालाक व्यक्ति है प्रतिवादी नम्बर 01 ने वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 9 को दिनांक 23.01.1976 को ग्राम घोड़ीवारा खुर्द में क्रय की गई शामलाती काश्त की भूमि मे से कब्जा हटाने की धमकी दी तथा कहा कि उक्त काश्त की जमीन का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मेरे नाम से

Scanned by CamScanner

तस्दीक जमाबंदी में 2.62 हैक्टर की खातेदारी मेरे अकेले के नाम दर्ज है। इसमें आपका कोई लेना देना नही है मेरी मर्जी के मुताबिक कुछ भी करूंगा। इसका विक्रय–पत्र तस्दीक करूंगा, इस खुर्द बुर्द करूंगा, वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त करूंगा। वादी शांती प्रिय कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। वादी ने गांव के मौजिज व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों को बुलाकर प्रतिवादी नम्बर 01 की उक्त नाजायज कृत्य के बारे में अवगत करवाया। तथा प्रतिवादरी नम्बर 1 ने कहां कि मै कानून का कुछ भी नहीं समझता हूँ। अगर प्रतिवादी नम्बर 01 अपनी नाजायज मंशा में सफल होता है तो वादी को भंयकर हकतलफी होगी। वादी बर्बाद हो जायेगा, जिसका खामियाजा किसी भी तरह से वहन नही हो सकता। इस प्रकार वादी अपने हक व अधिकारों की रक्षार्थ के लिए मजबूर होकर यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा वादी को दिनांक 25.07.2017 को एंलानिया धमकी देने के रोज अदालत हाजा मे क्षैत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। विवादित काश्त की जमीन ग्राम मांडासी व घोड़ीवारा खुर्द में स्थित है जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। प्रतिवादी नम्बर 14 भूमि धारक है दावा विभाजन का होने से इसलिए आवश्यक पक्षकार होनेसे पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नम्बर 15 लोक सेवक के विरूद्ध न्यायालय में वाद पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस देना कानूनी है लेकिन वाद अति आवश्यक प्रवृति का है अगर वादी प्रतिवादी नम्बर 15 को दो माह का विधिक नोटिस देकर दावा पेश करता है तो वादी का दावा करना ही न्यायोचित नहीं है अतः वादी श्रीमान से अन्तर्गत धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से अनुमति लेकर यह दावा पेश कर रहा है। दावा पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश किया गया है।

वाद–पत्र की धारा 1 में वर्णित काश्त की भूमि जो ग्राम मांडासी में स्थित है भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा 1.44 हैक्टयर में प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 04 का कब्जा काश्त है तथा ग्राम घोड़ीवारा खुर्द में स्थित भूमि खसरा नम्बर 472 रकबा 0.74 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 4 का काश्त व कब्जा है भूमि खसरा नम्बर 484 रकबा 3.50 हैक्टर में वादी व प्रतिवादी नम्बर 5 लगायत 7 तथा प्रतिवादी नम्बर 9 का कब्जा काश्त है प्रतिवादी नम्बर 2, 3, 4 का कब्जा काश्त नही है इसी अनुसार मौके पर कब्जा व काश्त के अनुसार व वादी एवं प्रतिवादीगण मे मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विधिवत रूप से बंटवारा किया जावे। ग्राम घोड़ीवारा खुर्द में स्थित भूमि खसरा नम्बर 392, 472, 478, 479, 480, 484 रकबा 2.62 हैक्टयर मे वादी को 1/4 वां हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 5, 6, 7 को भी 1/4 वां हिस्सा का काश्तकार किया जावे, प्रतिवादी नम्बर 9 को भी 1/4 वां हिस्सा का काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह ग्राम घोड़ीवारा खुर्द में स्थित भूमि खसरा नम्बर 392, 472, 478, 479, 480, 484 रकबा 2.62 हैक्टयर का विक्रय–पत्र तस्दीक न करवाये, उक्त भूमि को गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में खुर्द–बुर्द नहीं करे, विक्रय नही करे, रहन नही रखे व वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं पैदा करे ना ही अपने आदमियों नोकर चाकर आदि से करवाये व प्रतिवादी नम्बर 15 को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वह ग्राम घोड़ीवारा खुर्द की तन में स्थित भूमि खसरा नम्बर 392, 472, 478, 479, 480, 484 रकबा 2.62 हैक्टर का कोई भी हस्तान्रण प्रलेख, दस्वावेज पेश करने पर तस्दीक नही करे। अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई जो वादी के हक में पड़ती हो वादी को दिलाई जावे का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी नम्बर 01 बावजूद सम्यक तामील के अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 04 की ओर ये वकील सुरेन्द्र सिंह भर्रा ने वकालत नामा मय इकबाली जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी नम्बर 5 लगायत 7 व 9 लगायत 11 लगा॰ 14 अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी 15 के प्रस्तुत जवाब में अधिकाशतः बिन्दु स्वीकार किय गये तथा वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष को सिद्ध करने का भार वादी का होने का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श 1, प्रदर्श

Scanned by CamScanner

2 पेश किये गये जो रिकार्ड पर लिये गये। साक्ष्य वादी में वादी बीरबल एंव गवाह शुभकरण पुत्र रामनाराण, शांती देवी पत्नी बीरबल, दयानंद पुत्र श्री हनुमानाराम, रामनिवास पुत्र शीशुपाल, भंवरखां पुत्र निजामूदीन, मनाराम पुत्र तनसुखराम का चीफ के शपथ पत्र पेश किये गये।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा आपसी सहमत होने से वादी द्वारा ओर शहादत पेश नही करना चाहते तथा प्रतिवादी द्वारा शहादत प्रतिवादी पेश नही करना चाहते है। अतः आपसी सहमति होने से उक्त वाद को प्राथमिक रूप डिक्री करवाये जाने मे सहमत होने से बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम घोड़ीवारा खुर्द सम्वत् 2066–2069 के अनुसार भूमि ख.न. 138 रकबा 1.44 हैक्टेयर की खातेदारी रूकमणी पत्नी स्व. गिरधारी, विजेन्द्र, शिशूपाल पिता गिरधारी हिस्सा 1/5, शारदा पत्नी स्व. फतेहचन्द, महेन्द्र कुकू देवेन्द्र पिता फतेहचन्द हिस्सा 1/5, विधाधर, बीरबल, फूलाराम पिता नारायणराम हिस्सा 1/3 हि.ब. जाति मेघवंशी साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। एवं जमाबंदी सम्वत् 2067–2070 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 392/0.29, 472/0.74, 478/0.02, 479/3.83, 480/0.68, 481/2.62, 484/3.5 की खातेदारी नथू मोहम्मद पु. रहीमबक्स जाति काजील सा.घोड़वारा खुर्द हिस्सा 0.77, सोनकंवर पत्नी जोर सिंह जाति राजपूत हिस्सा 2.62 हैक्टेयर, मनभरीदेवी धर्मपत्नी महाबीर प्रसाद जाति जाट साकिन घोड़ीवारा खुर्द हिस्सा 0.68 दर हिस्सा 13 बीघा 5 बिश्वा, विजेन्द्र शिशुपाल पिता गिरधारी रूकमणी देवी पत्नी स्व. गिरधारी महेन्द्र कुकु देवेन्द्र पिता फतेहचन्द शारदा पत्नी स्व. फतेहचन्द विधाधर बीरबल फूलाराम पिता नारानाराम कौम मेघवंशी हि. 8 बीघा 12 बिश्वा सां. सांगासी मोहनराम वल्द कालूराम कौम मीना साकिन सांगासी हिस्सा 15 बीघा किशनसिंह वल्द चांद सिंह कौम राजपूत हिस्सा 4 बिश्वा नथू मोहम्मद वल्द रहीमबक्स जाति मुसलमान हिस्सा 4 बीघा 14 बीश्वा साकिन घोड़ीवारा खुर्द एवं नामान्तरण संख्या 586 नि.दि. 03.06.201 न्यायालय आदेश खसरा नम्बर 392, 472, 478, 479, 480, 481, 484 से सोनकंवर पत्नी स्व. जोरसिंह जाति राजपूत हिस्सा 2.62 है. के स्थान पर फूलचन्द पु. नारायणराम जाति बलाई निवासी माण्डासी हिस्सा 2.62 है. स्वीकार शेष बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादग्रस्त आराजियात शामलाती खातेदारी की है। वादी एवं प्रतिवादीगण आपस में सहमति से विधिवत विभाजन चाहा गया है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वादी वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम मांडासी स्थित भूमि खसरा नम्बर 138 रकबा 1.44 हैक्टर तथा ग्राम घोड़ीवारा कलां की भूमि खसरा नम्बर 392, 472, 478, 479, 480, 481, 484 रकबा 2.62 हैक्टर में वादी व प्रतिवादीगण शामलाती रिकार्डेड खातेदार है। अतः तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 लगायत 21 को मध्यनजर रखते हुए पक्षकारान् की मौजूदगी में युक्तियुक्त रास्तें को मध्यनजर रखते हुए मुताबिक रिकार्ड, कब्जा काश्त विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करे। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक **25.09.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25-9-19

(मुरारीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner